(1)

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एडीसी / 2017 / 48 दिनांक : 25/4/17

आदेश

मैसर्स सेंचूरी हैण्डलूम प्रोड्यूसर कॉओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड,29–जालुपुरा, जयपुर (जिसे आगे से ''लाईसेन्सी'' के नाम से संबोधित किया जावेगा) जिसे कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तद्धीन नियमावली 1945 (जिसे आगे से क्रमशः ''अधिनियम'' एवं ''नियमावली'' शब्दों के नाम से संबोधित किया जावेगा) के प्रावधानों के तहत सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ–II के अनुसार निर्माणार्थ अनुज्ञापत्र संख्या RAJ-1723 प्रपत्र 25 पर दिनांक 16.08.1996 को जारी किये गये हैं एवं जो दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत थे। कार्यालय रिकार्ड के अनुसार फर्म द्वारा दिनांक 01.01.2017 से दिनांक 31.12.2021 तक के नवीनीकरण के लिये नियमानुसार आवेदन मय दस्तावेज ,फीस विभाग में प्रस्तुत किया गया है एवं विभाग द्वारा पत्र कमांक 24 दिनांक 22.03.2017 जारी किया हुआ है। श्री महेन्द्र सिंह शेखावत, सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर के पत्र कमांक एडीसी / एम.एस. एस. / 2016 / 1818 दिनांक 20.12.2016 की अनुपालना में श्री नरेन्द्र कुमार रैगर एवं श्री अजय कुमार सब्बल दोनों औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा फर्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संदर्भ में दिनांक 06.01.2017 को फर्म का निरीक्षण श्री लईक अहमद, व्यवस्थापक एवं श्री जय प्रकाश सैनी मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट की उपस्थिति में किया एवं निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति वक्त निरीक्षण श्री लईक अहमद को उपलब्ध कराई गई।

कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र कमांक एडीसी / एमएफजी–कॉटन / 2017 / 21 दिनांक 10.03.2017 द्वारा नियमावली के नियम 69 एवं 85 के तहत फर्म को कारण बताओ नोटिस दिया गया एवं नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस में कार्यालय में कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। तत्पश्चात कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र कमांक एडीसी / जयपुर / 2017 / 40 दिनांक 06.04.2017 द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु स्मरण पत्र जारी किया गया। फर्म ने अपने पत्र दिनांक 10.04.2017 के द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के लिये दिनांक 17.04.2017 तक का समय चाहा व पत्र दिनांक 20.04.2017 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया।

इसी प्रकार अवमानक कोटि की घोषित औषधियों के लिये कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र कमांक एडीसी(एस.एस.) / टेस्ट –5 / 2017 / 25 दिनांक 23.03.2017 एवं रजिस्टर्ड पत्र कमांक एडीसी(एस.एस.) / टेस्ट –5 / 2017 / 09 दिनांक 28.02.2017के द्वारा नियमावली के नियम 69 एवं 85 के तहत फर्म को कारण बताओ नोटिस दिया गया एवं नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में कार्यालय में कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। तत्पश्चात कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र कमांक एडीसी / जयपुर / 2017 / 40 दिनांक 06.04.2017 द्वारा कारण बताओं नोटिसों का जवाब प्रस्तुत करने हेतु स्मरण पत्र जारी किये गये। फर्म ने अपने पत्र दिनांक 03.04.2017 के द्वारा कारण बताओं नोटिसों के अलग अलग जवाब प्रस्तुत किये एवं श्री वचन सिंह मीणा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर तथा सुश्री सीमा तानान, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर ने क्रमशः कारण बताओ नोटिसो के लिए निरीक्षण रिपोर्ट जरीये क्रमशः पत्र कमांक 23 दिनांक 17.04.2017 एवं 758 दिनांक 13.04.2017 प्रेषित की इस पैरा के क्रम मे प्रस्तुत लाईसेंसी के विभिन्न अलग–अलग जवाब दिनांक 03.04.2017, निरीक्षण रिपोर्टस, पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं फर्म / प्रकरण से संबंधित कार्यालय में संधारित रिकार्ड इत्यादि का गहनता से अध्ययन एवं मनन करने पर लाईसेंसी का जवाब अवमानक कोटि की घोषित औषधि के लिये संतोषजनक नहीं पाया गया एवं अनियमित्ताएं प्रमाणित हुई।

यह कि अवमानक कोटि की घोषित विभिन्न औषधियों के लिये जारी विभिन्न कारण बताओ नोटिस के क्रम में प्रस्तुत लाईसेंसी के विभिन्न अलग–अलग जवाब एवं सत्यापन निम्न तालिका–1 अनुसार तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं फर्म / प्रकरण से संबंधित कार्यालय में संधारित रिकार्ड इत्यादि का गहनता से अध्ययन एवं मनन करने पर लाईसेंसी का जवाब अवमानक कोटि की घोषित औषधि के लिये संतोषजनक नहीं पाया गया एवं अनियमित्ताएं किया जाना प्रमाणित हुई।

तालिका–1

S. No.	Name of Drug & Size & result	Batch No.	Mfg. date	Exp. date	Test report No. & date & result	S.C.N. Issued No. & date	Reply rec. on date	Letter no. & date of LA for virification of reply	Date of inspection for verification of reply	Analysis (विवेचना)	Remark
1	Handloom rolled bandage, 4 mt.x10cm	1089	April 2015	2 Years from month of Mfg.	1766/2016-2017/DTL/2016 dt.08.09.16, NSQ.	45/ 09.09.2016	18.10.2016	56/ 26.10.2016	28.11.2016	फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किया जाना स्वीकार किया गया।	अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किये जाने से अनियमितता प्रमाणित ।
2	Handloom rolled bandage, 9 mt.x120cm	1093	April 2015	2 Years from month of Mfg.	1774/2016-2017/DTL/2016 dt.08.09.16, NSQ.	47/ 09.09.2016	18.10.2016	57/ 26.10.2016	28.11.2016	फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किया जाना स्वीकार किया गया।	अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किये जाने से अनियमितता प्रमाणित ।
3	Handloom rolled bandage, 5mt.x15cm	1095	April 2015	2 Years from month of Mfg.	1775/2016-2017/DTL/2016 dt.08.09.16, NSQ.	46/ 09.09.2016	18.10.2016	58/ 26.10.2016	28.11.2016	फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किया जाना स्वीकार किया गया।	अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किये जाने से अनियमितता प्रमाणित ।

25/4/17

Contd 2

4	Handloom rolled bandage, 4 mt.x10cm	1154	July 2015	2 Years from month of Mfg.	1742/2016-2017/DTL/ 2016 dt.02.09.16, NSQ.	40/ 09.09.2016	18.10.2016	54/ 26.10.2016	28.11.2016	फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किया जाना स्वीकार किया गया।	अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किये जाने से अनियमितता प्रमाणित ।
5	Handloom rolled bandage, 5mt.x15cm	1155	July 2015	2 Years from month of Mfg.	1740/2016-2017/DTL/ 2016 dt.02.09.16, NSQ.	41/ 09.09.2016	18.10.2016	53/ 26.10.2016	28.11.2016	फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किया जाना स्वीकार किया गया।	अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किये जाने से अनियमितता प्रमाणित ।
6	Handloom rolled bandage, 4mt.x7.5cm	1156	July 2015	2 Years from month of Mfg.	1777/2016-2017/DTL/ 2016 dt.08.09.16, NSQ	44/ 09.09.2016	18.10.2016	55/ 26.10.2016	28.11.2016	फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किया जाना स्वीकार किया गया।	अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किये जाने से अनियमितता प्रमाणित ।
7	Handloom rolled bandage, 4 mt.x10cm	1157	July 2015	2 Years from month of Mfg.	1741/2016-2017/DTL/ 2016 dt.02.09.16, NSQ	42/ 09.09.2016	18.10.2016	52/ 26.10.2016	28.11.2016	फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किया जाना स्वीकार किया गया।	अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किये जाने से अनियमितता प्रमाणित ।
8	Handloom rolled bandage, 9mt.x120cm	1158	July 2015	2 Years from month of Mfg.	1739/2016-2017/DTL/ 2016 dt.02.09.16, NSQ	43/ 09.09.2016	18.10.2016	51/ 26.10.2016	28.11.2016	फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किया जाना स्वीकार किया गया।	अवमानक कोटि की औषधि का निर्माण किये जाने से अनियमितता प्रमाणित ।

इसी प्रकार निम्न कारणों से कारण बताओ नोटिस क्रमांक एडीसी/एमएफजी–कॉटन/2017/21 दिनांक 10.03.2017 के लिये प्रस्तुत जवाब दिनांक 20.04.2017, निरीक्षण रिपोर्ट, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं फर्म/प्रकरण से संबंधित कार्यालय में संधारित रिकार्ड इत्यादि का गहनता से अध्ययन एवं मनन करने पर लाईसेंसी का जवाब निम्नानुसार संतोषजनक नहीं पाया गया ।

इस प्रकार अनियमितताऐं किया जाना प्रमाणित हुआ।

क्र. सं.	निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी कारण बताओं नोटिस के विभिन्न बिन्दु	फर्म द्वारा प्रस्तुत जवाब	कॉलम संख्या 2 व 3 के लिये विवेचना	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	यह कि वक्त निरीक्षण निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं करवायी गयी।	समिति का समय–समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण रिर्पोटो की फोटोप्रति सलंग्न है।	फर्म ने अपने जवाब के साथ निरीक्षण पुस्तिका के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नही किया है एवं जवाब के साथ संलग्न निरीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रतियां सादे कागज पर है।	अनियमितता प्रमाणित है।
2	यह कि वक्त निरीक्षण दिनांक 31.12.2016 के बाद का फार्म–26 मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया।	समिति द्वारा लाइसेन्स रिनेवल हेतु 31.12.2016 से पूर्व रिनेवल ऐप्लीकेशन लगा रखी हैं अभी समिति को फार्म 26 जारी नहीं हुआ है। रिनेवल ऐप्लीकेशन की फोटोप्रति संलग्न है।	फर्म द्वारा कार्यालय के पत्र क्रमांक 24 दिनांक 22.03.2017 का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।	––
3	यह कि वक्त निरीक्षण फर्म पर अनुमोदित एनालिटिकल केमिस्ट सुश्री सुलेता मुखर्जी अनुपस्थित पाई गई।	निरीक्षण के समय मेन्यूफेक्चरिंग कैमिस्ट जय प्रकाश सैनी उपस्थित थे तथा सुलेखा मुखर्जी एनिडिकल केमिस्ट काम से	सुलेखा मुखर्जी एनालिटिकल केमिस्ट के संबंध मे फर्म का जवाब तथ्यों के विपरीत एवं काल्पनिक है व माने जाने योग्य नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है।

28/5/17

Contd 3

		पास ही गये हुये थी।		
4	यह कि वक्त निरीक्षण लाईसेंस परिसर में किसी भी प्रकार की गॉज/बेण्डेज का निर्माण कार्य नहीं किया जाना पाया गया अर्थात प्रोडक्शन बन्द पाया गया।	समिति के पास विक्रय आदेश नहीं होने के कारण गौप–बैण्डेज का उत्पादन कार्य बन्द था। निरीक्षण के समय लास्ट बैच की टैस्ट रिपोर्ट की फोटोप्रति संलग्न है।	जवाब के साथ मानक कोटि की टेस्ट रिपोर्ट क्र0 3166/2016–2017/डीटीएल/2017 दिनांक 20.02.2017 की छायाप्रति संलग्न की है। जिस पर निर्माण तिथी दिसम्बर 2016 है तथा उक्त निरीक्षण दिनांक 06.01.2017 को किया गया है। अतः फर्म का जवाब तथ्यात्मक रूप में माने जाने योग्य नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है।
5	यह कि वक्त निरीक्षण परिसर में बैच संख्या 1298, निर्माण तिथि दिसम्बर 2016, निर्माता फर्म मैसर्स सेंच्यूरी हैण्डलूम प्रोड्यूसर को–ओपरेटिव सोसायटी लि0, 29, जालुपुरा जयपुर द्वारा निर्माण की गई हैण्डलूम रोल्ड बैण्डेज गॉज थान साईज 9m x120cm की कुल 500 थान का स्टॉक पाया गया। जॉच में पाया गया कि उक्त थान का निर्माण संस्था द्वारा 19 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक किया गया है एवं उक्त गॉज थान का नमूना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् श्री अजय कुमार सबल औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा जॉच बाबत् लिया गया, जिसकी जॉच रिपोर्ट अप्राप्त है।	निरीक्षण के समय समिति के पास बैच नं. 1298 D/M Dec-16 गॉप–अनमेडीकेटेड 120cmX 9mtr के 500Pkt. का स्टॉक था। जिसका समिति ने लिगल सैम्पलिंग भी करवाई गई थी। सैम्पल की Govt. लैब से प्राप्त मानक स्तर की टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है। टेस्ट रिपोर्ट की फोटोप्रति संलग्न है।	जवाब मान्य है।	––
6	यह कि लाईसेंस परिसर में एक मेन्युवल रोलिंग मशीन, एक कटिंग मशीन व एक ऑटोक्लेव पाया गया।	गॉज–बैण्डेज के उत्पादन में रोलिंग मशीन व कटिंग मशीन का उपयोग होता है।	जवाब पूर्ण रूप से मान्य नही है। क्योंकि फर्म ने अपने पत्र दिनांक 29.12.2011 में निम्न विवरणानुसार मशीनों की सूची प्रस्तुत की थी। 1. Rolling machine 2. Trimmers 3. Cutting Knives 4. Folding & Pressing Machine for gauze.	अनियमितता प्रमाणित है
7	यह कि निरीक्षण रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध फार्म–26 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वक्त निरीक्षण मेन्यूफेक्चरिंग केमिस्ट श्री जय प्रकाश सैनी एवं एनालिटिकल केमिस्ट सुश्री सुलेता मुखर्जी अनुपस्थित पाये गये।	निरीक्षण के समय मैन्यूफेक्चरिंग कैमिस्ट जय प्रकाश सैनी जी उपस्थित थे तथा सुलेखा मुखर्जी ऐनिडिकल कैमिस्ट काम से पास में गये हुये थी।	सुलेखा मुखर्जी एनालिटिकल केमिस्ट के संबंध मे फर्म का जवाब तथ्यों के विपरीत एवं काल्पनिक है व माने जाने योग्य नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है
8.	यह कि प्राप्त शिकायत के संदर्भ में फर्म की जॉच/निरीक्षण करने पर पाया गया कि– • यह कि श्री लईक अहमद से संस्था के पिछले तीन वर्षो के	1. समिति ने परिसर किराये पर ले रखा है तथा परिसर मालिक के नाम से बिजली	1. जवाब के साथ केवल मात्र बिजली के बिल माह अप्रेल 2017 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। जबकि निरीक्षण के दौरान पिछले 03 वर्षो के बिजली के बिलों की प्रतियां जॉच बाबत चाही गयी थी।	अनियमितता प्रमाणित है।

Contd. 4

	बिजली के बिलो की प्रतियां जॉच बाबत् चाहने पर प्रस्तुत नही की गई।	बिल आता जो समिति पेय करती है। बिजली बिलो की फोटोप्रति संलग्न है।		
	• यह कि वक्त निरीक्षण श्री लईक अहमद से संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षो में गॉज/बैण्डेज के निर्माण बाबत् खरीद किये गये सूत के बिल/ट्रासपोर्ट बिल्टी संबंधित दस्तावेज जॉच बाबत् चाहे गये जो वक्त निरीक्षण प्रस्तुत नही किये गये।	2. समिति द्वारा पिछले तीन सालो में खरिदे गये कपड़े के बिलो की तथा विक्रय बिलो की फोटोप्रति संलग्न है।	2. जवाब के साथ कुछ Invoice की छायाप्रति प्रेषित की है परन्तु निरीक्षण के दौरान उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब पूर्ण रूप से माने जाने योग्य नहीं है।	आंशिक अनियमितता प्रमाणित है।
	• यह कि श्री लईक अहमद से संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले तीन साल में भुगतान की गई सैलेरी की जॉच बाबत् कर्मचारी हाजरी रजिस्टर/उपस्थिति पंजिका, वेतन भुगतान रजिस्टर एवं पैमेन्ट स्लीप इत्यादि चाही गई जो वक्त निरीक्षण प्रस्तुत नही की गई।	3. समिति कर्मचारियो का नगद सैलेरी भुगतान करती है तथा कर्मचारियो की उपस्थित पंजिका की फोटोप्रति संलग्न है।	3. जवाब के साथ मात्र उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति संलग्न की है जिसमें हस्ताक्षर की जगह P अंकित है एवं निरीक्षण के वक्त उक्त दस्तावेज नही दिखाने से अमान्य है।	अनियमितता प्रमाणित है।
	• यह कि श्री लईक अहमद से संस्था द्वारा गॉज/बैण्डेज के थान की ब्लीचिंग बाबत् पुछने पर बताया गया कि उनके द्वारा ब्लीचिंग किया हुआ थान ही खरीदा जाता है परन्तु इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये।	4. समिति द्वारा बिलिच किया गया कपड़ा ही क्रय करती है। तथा समिति द्वारा अपने स्तर कपड़े की बिलिचिंग टेस्ट करती है। टेस्ट सही पाये जाने पर कपड़ा क्रय किया जाता है।	4. जवाब के साथ संलग्न छायाप्रतियां माने जाने योग्य नही है, क्योकि निरीक्षण के वक्त वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।	आंशिक अनियमितता प्रमाणित है।
	यह कि वक्त निरीक्षण परिसर में गॉज/बैण्डेज के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कोई हैण्डेलूम संधारित नही पाया गया।	5. समिति ने लाईसेन्स परिसर में डस्ट के कारण हैण्डलूम नहीं लगा रखी हैं। समिति हैण्डलूम समिति कार्यशाला एन. एच.–08, दिल्ली रोड, कूकस जयपुर में संधारित है।	5. जवाब तथ्यों के विपरीत एवं काल्पनिक है व माने जाने योग्य नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है।
9.	यह कि शिकायत में वर्णित बिन्दु जो कि निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 10 (I-V) में अंकित है, से संबंधित कोई भी दस्तावेज मांगने पर प्रस्तुत नही किया गया एव ना ही वक्त निरीक्षण परिसर में संधारित पाया गया एवं केवल माह जून 2016 का बिजली बिल प्रस्तुत किया गया।	——	उपरोक्तानुसार निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 10 (I-V) के लिए की विवेचना के अनुसार। 25/5/17	अनियमितता प्रमाणित है।

जिसके फलस्वरूप लाईसेंसी द्वारा नियमावली के नियम 124–C एवं शिड्यूल–एफ II सपठित अधिनियम की धारा 18(a)(vi), (b) एवं लाईसेंस की शर्तों (नियम 74 प्रपत्र 25 से संबंधित) का उलंघन किया जाकर अनियमित्ताएं किया जाना प्रमाणित हैं।

उल्लेखनीय है कि अन्त में फर्म के जवाब में अंकित किया गया है कि समिति हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय करने की कृपा करें। परन्तु फर्म को औषधियों की गुणवत्ता बनी रही जिससे आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नही हो की परवाह नहीं होना दृष्टिगोचर है, क्योंकि उपरोक्त तालिका–1/वर्णन के अनुसार स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा निर्मित विभिन्न औषधियां जिनके सैम्पल रेण्डमली वास्ते जॉच एवं विश्लेषण हेतु लिये गये जो कि अधिक मात्रा मे अवमानक कोटि के घोषित हुये। पूर्व में भी फर्म के रेण्डमली लिये गये औषधियों के नमूनें अधिक मात्रा में अवमानक कोटि के घोषित हुये है एवं विभाग द्वारा समय–समय पर विभिन्न आदेश भी जारी किये गये जिनमें से मूल पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार उदाहरण के लिये :–

1. औषधियों के विभिन्न बैचो के अवमानक कोटि की घोषित होने पर आदेश कमांक एडीसी(वीकेडी)/एस डी/टैस्ट/09/22 दिनांक 13.02.09 के द्वारा फर्म का लाईसेन्स 90 दिन (26.02.2009 से 26.05.2009) के लिए निलम्बित किया गया।
2. औषधियों के विभिन्न बैचो के अवमानक कोटि की घोषित होने पर आदेश कमांक एडीसी(वीकेडी)/एस डी/टैस्ट/09/121 दिनांक 20.07.09 के द्वारा फर्म का लाईसेन्स 100 दिन (03.08.2009 से 10.11.2009) के लिए निलम्बित किया गया।
3. औषधियों के विभिन्न बैचो के अवमानक कोटि की घोषित होने पर आदेश कमांक एडीसी/ए.जे./टैस्ट/1–14,29/2015/70 दिनांक 30.07.15 के द्वारा फर्म का लाईसेन्स 6 माह (10.08.2015 से 09.02.2016) के लिए निलम्बित किया गया।

अतः मैं संजय सिंघल, अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर नियमावली के नियम 85 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लाईसेंसी को जारी सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ–II के अनुसार निर्माणार्थ अनुज्ञापत्र संख्या **RAJ-1723** प्रपत्र 25 पर दिनांक 16.08.1996 को जारी किये गये हैं एवं जो दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत थे। कार्यालय रिकार्ड के अनुसार फर्म द्वारा दिनांक 01.01.2017 से दिनांक 31.12.2021 तक के नवीनीकरण के लिये नियमानुसार आवेदन मय दस्तावेज ,फीस विभाग में प्रस्तुत किया गया है एवं विभाग द्वारा पत्र कमांक 24 दिनांक 22.03.2017 जारी किया हुआ है।

उपरोक्त सभी परिपेक्ष्य में अर्थात फर्म द्वारा लगातार अवमानक कोटि की औषधियां का निर्माण किया जा रहा है अतः फर्म के अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाना उचित नहीं है एवं दिनांक 01.01.2017 से दिनांक 25.04.2017 तक फर्म के द्वारा औषधियों के किये गये निर्माण एवं विकय कार्य को मान्य/नवीनीकृत करते हुए फर्म के औषधि अनुज्ञापत्र को दिनांक 26.04.2017 से निरस्त किया जाता है।

उक्त कार्यवाही लाईसेंसी के विरूद्ध लम्बित/भविष्य में की जाने वाली किसी भी न्यायिक कार्यवाही पर बिना विपरीत प्रभाव डाले की जा रही है।

25/4/17
(संजय सिंघल)
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक
जयपुर।

क्रमांक : एडीसी/2017/ 48 दिनांक : 25/4/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, हैण्डलूम भवन, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के सामने, टोंक रोड, जयपुर। (रजिस्टर्ड)
2. प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन, चौमू हाउस, जयपुर। (रजिस्टर्ड)
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0 क0/आई0ई0सी0/ई0एस0आई0/एम0एस0यू0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।
5. औषधि नियंत्रक–प्रथम एवं द्वितीय, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. मैसर्स सेंचूरी हैण्डलूम प्रोड्यूसर कॉओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड,29–जालुपुरा, जयपुर को आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 26.04.2017 से औषधियां का निर्माण एवं विकय का पूर्ण रूप से बन्द रखे एवं नियमानुसार अपील अवधि निकल जाने के पश्चात औषधियों के स्टॉक, रोमेटेरियल स्टॉक एवं इक्यूपमेन्ट इत्यादि के निस्तारण हेतु आवश्यक प्रार्थना पत्र/दस्तावेज कार्यालय मे प्रस्तुत करें।(रजिस्टर्ड)

Cont.

11. श्री नरेन्द्र कुमार रैगर एवं श्री अजय कुमार सब्बल दोनों औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर को 01 अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दोनो संयुक्त रूप से अविलम्ब उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तुरन्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
12. सुश्री सीमा तानान एवं श्री वचन सिंह मीणा दोनों औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर।
13. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
14. थानाधिकारी, पुलिस थाना, चांदपोल/संजय सर्किल, जिला–जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा कार्यवाही हेतु इमदाद मांगे जाने पर उपलब्ध कराने का श्रम करें।
15. प्रभारी सर्वर रूम (मुख्यालय) को भेजकर लेख है कि कृपया पत्र को उक्त सभी को ई–मेल एवं संगठन के वेब पेज पर प्रदर्शित करने का श्रम करावें।
16. रक्षित पत्रावली/कार्यालय प्रति।

25/5/17

(संजय सिंघल)
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक
जयपुर।